

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 36/17 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल बनाम गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये श्री. सरूप सिंह पुत्र श्री. राजीव सिंह
पटवारी हल्का आसाड़ी ह. सासाणी जाति. राज. निवासी. ६८५१०१
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

दिनांक 28/12/18

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की अनु./उप. पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आसाड़ी ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने मौका ६६५१०१ के खसरा नम्बर ३१७ रकबा बीघा में से ०.५१ बीघा किस्म ५५०१ (राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / गैरसायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 5000 अक्षरे 5000 रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

पटवारी हल्का आसाड़ी को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे। टी. आर. ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 28/12/18 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार
गडरारोड़

जुमाना 50/- फसल नि.
कुल योग 50/- जि.के पृष्ठ सं. 20
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार